Title: Need to disburse the amount of crop insurance scheme directly to the farmers.

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से क्रॉप इंश्योरैंस के बारे में मामला उठाना चाहता हूं। पिछले दो सालों से महाराट्र विशेष ाकर मराठवाड़ा में सब किसान सूखे और वार्ा से पीड़ित हैं। लगातार दो-तीन सालों से वहां अकाल की स्थिति है। जब किसानों की फसल बर्बाद होती है तो केन्द्र सरकार की ओर से क्रॉप इंश्योरैंस दी जाती है। लेकिन क्रॉप इंश्योरैंस का वितरण सही ढंग से नहीं हो रहा है। छोटे काश्तकारों और किसानों को क्रॉप इंश्योरैंस ठीक ढंग से नहीं मिल रही है। जब राज्य सरकार की तरफ से क्रॉप इंश्योरैंस की राशि दी जाती है, राज्य सरकार के जितने भी कोआपरेटिव बैंक हैं, वे किसानों की राशि जब्त कर लेते हैं, उन्हें नहीं देते। उनको जितनी क्रॉप इंश्योरैंस दी जाती है, वह पर्याप्त नहीं है।

उसे बढ़ाने की भी जरूरत है और क्रॉप इन्श्योरेंस का पैसा सीधे किसानों के हाथ में देना चाहिए, ऐसी केन्द्र सरकार से व्यवस्था हो। जब किसानों की फसल बर्बाद होती है, जब किसान हताहत होता है, जब उसके पास कोई नहीं होता है, जब किसान सूखे की स्थिति में है, अकाल की स्थिति में है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को क्रॉप इन्श्योरेंस की पॉलिसी ठीक ढंग से लागू करनी चाहिए और पैसा सीधे किसानों के हाथ में जाना चाहिए। इतनी ही मैं आपसे रिक्वैस्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

1256 hrs. (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)